कार्यालय कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) महासमुन्द जिला महासमुन्द (छ0ग0)

//ज्ञापन//

क्रमांक 184 /कले0/भू–अर्जन/2020 महासमुन्द दिनांक 24/12/2020

प्रति,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
जिला कार्यालय महासमुन्द

विषयः– भू–अर्जन के प्रकरणों में धारा 19 के प्रकाशन हेतु अवधि बढ़ाने एवं भू–अर्जन अधिनियम अन्तर्गत धारा 19 प्रारूप अधिसूचना का जिला सूचना विज्ञान केन्द्र के ऑफिसियल के वेब–साईट में अपलोड किये जाने बाबत ।

–0–

कार्यालय कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) महासमुन्द द्वारा भू–अर्जन प्रकरणों की समीक्षा की गई । प्रकरणों में धारा 11(1) के प्रकाशन दिनांक 29/11/2019 के एक वर्ष की अवधि के भीतर धारा 19 प्रारूप अधिसूचना का प्रकाशन कराये जाने में कोविड–19 के संक्रमण के कारण से लगभग 4 माह पूर्ण लॉक–डाउन एवं शेष अवधि में आंशिक लॉक–डाउन के कारण से विहित समय अवधि 12 माह के भीतर प्रकरणों में कार्यवाही किया जाना संभव नही हो पाया, फलस्वरूप निरंतर लॉक–डाउन होने एवं अन्य प्रशासनिक कार्य तथा कार्यालयीन ब्यवस्था प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 प्रारूप अधिसूचना का प्रकाशन विहित समय में नही किया जा सका जिसके कारण प्रकरणों में धारा 19 के प्रारूप अधिसूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु (भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(7) ''परन्तुक'' के नियम के तहत दिनांक 29/11/2020 से गणना करते हुए 6 माह की अवधि बढ़ाये जाने का आदेश पारित कर जिले के ऑफिसियल वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में ग्राम घुंचापाली, प0ह0नं0 49, ग्राम बेलटिकरी प0ह0नं0 46, ग्राम सुखापाली प0ह0नं0 41, ग्राम परसकोल प0ह0नं0 38, ग्राम बांजीबहाल प0ह0नं0 49, तहसील सरायपाली में दिनांक 29/11/2020 से गणना तथा ग्राम मौलीखार प0ह0नं0 40 तहसील सरायपाली में प्रारूप अधिसूचना 11(1) के प्रकाशन के बाद दिनांक 18/10/2020 से गणना करते हुए 6 माह की अवधि बढ़ाये जाने का आदेश पारित किया गया है ।

अतएव उपरोक्त ग्राम के प्रकरणों में 6 माह की अवधि बढ़ाये जाने कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार ऑफिसियल वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने का कष्ट करें ।

(कलेक्टर महो0 द्वारा आदेशित)

डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर महासमुन्द